न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/221

पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 40/2023

1. पिंक महल इन्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा.लि. रजि. कार्यालय पता ए–54, राजधानी कृषि उपज मंडी रोड नं0 09, वी.के.आई. एरिया सीकर रोड, जयपुर, जरिये निदेशक श्री आशिष बंसल पुत्र रमेश चंद बंसल, जाति महाजन, निवासी बी 13, शांति नगर, गुर्जर की थडी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

––– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. आनन्दीलाल पुत्र हरसहाय
3. जगदीश पुत्र नाथूराम
4. मंगला पुत्र नौन्दाराम
5. मुन्नालाल पुत्र हरसहाय
6. रामपाल पुत्र हरसहाय
7. सीताराम पुत्र हरसहाय
8. गुड्डी देवी पुत्र स्व0 जगदीश
9. दीपक पुत्र स्व0 जगदीश
10. बनवारी लाल पुत्र स्व0 जगदीश
11. मोहनी देवी पत्नी जगदीश
12. लाली देवी पुत्री स्व0 जगदीश
    जाति बागडा ब्राह्मण, ग्राम चौप, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
13. नारायण पुत्र बिरदा
14. भोलूराम पुत्र बिरदा
15. सीताराम पुत्र बिरदा
    जाति रैगर, ग्राम चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
16. केशरलाल पुत्र चौथूराम
17. मांगीलाल पुत्र चौथूराम
    जाति खटीक, निवासी ग्राम बिलौंची, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
18. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128
सपठित धारा 111 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 18.06.2025

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चौंप, पटवार हल्का चौंप, भू0अ0नि0क्षे0 बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित भूमि जिसके हाल ख0न0 1097 रकबा 0.13 हैक्टे. किस्म बारानी 2 एवं खसरा नम्बर 1099 रकबा 1.37 हैक्टे. किस्म चाही 3 जाव 3 जिसका

उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

खातेदार काश्तकार प्रार्थी है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा राजस्व भू0 अभिलेख
में दर्ज है। जिस पर प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते
चले आ रहे है और लगान अदा करते है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि
आवेदन पत्र के पैरा संख्या 1 की भूमि के उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान
दिनांक 05.06.2023 को तहसीलदार आमेर के आदेश क्रमांक एल.आर.
/2023/31–32 दिनांक 11.05.2023 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा
उभयपक्षकारान की उपस्थिति में किया जा चुका है। प्रार्थी ने अपनी
खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का सीमाज्ञान नियमानुसार तहसीलदार,
आमेर के द्वारा किया जा चुका है। चूंकि माननीय न्यायालय के समक्ष
सीमाज्ञान अनुसार प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे है। उक्त
कृषि भूमि के सीमांकन अनुसार प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 1097
रकबा 0.13 हैक्टे. किस्म बारानी 2 एवं खसरा नम्बर 1099 रकबा 1.37
हैक्टे. किस्म चाही 3 जाव 3 की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। पटवारी
हल्का व तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण को उक्त
सीमाकंन अनुसार पत्थरगढ़ी बाबत कोई उज्र हो तो माननीय न्यायालय उन्हें
तलब कर प्रार्थीगण के पक्ष में सीमांकन अनुसार पत्थरगढ़ी कराने के आदेश
प्रदान करें, जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सकें। प्रार्थी व
अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमायें आपस में मिली हुई है। इस कारण
अप्रार्थीगण को इस आवेदन में तहसीलदार आमेर व पटवारी हल्का की
रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी
की उपरोक्त वर्णित भूमि के पडोसी खातेदार काश्तकार होने से अप्रार्थीगण
संख्या 02 लगायत 18 का नाम राजस्व भू0 अभिलेखों में दर्ज होने की
वजह से पक्षकार संयोजित किया गया है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01
राजस्थान सरकार जो भूमि धारक होने के कारण पक्षकार संयोजित किया
गया है। अन्य कोई अनुतोष उनके विरूद्ध नहीं चाहा गया है। आवेदन
उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है तथा भूमि विवादग्रस्त
राजस्व ग्राम चौंप, पटवार हल्का चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर में
स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः आवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की
खातेदारी व कब्जे–काश्त कृषि भूमि ख0न0 1097 रकबा 0.13 हैक्टे, ख0न0
1099 रकबा 1.37 हैक्टे0, तहसील आमेर, जिला जयपुर की पत्थरगढ़ी
अप्रार्थीगण को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान कर सीमाज्ञान अनुसार
पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश एवं अन्य कोई भी अनुतोष जो माननीय
न्यायालय उचित समझे प्रार्थीगण के पक्ष में पारित फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जाकर
अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट अनुसार तलवी पूर्ण
पायी गयी। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण
प्रतिवादीगण संख्या 09 का जवाब बंद किया गया। तामिल बाद भी
उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 08 एवं 10
लगायत 17 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादी संख्या 18 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया
कि सीमाज्ञान की अप्रार्थी उत्तरदाता को ना तो जानकारी थी, ना ही सूचना

BSW
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

दी गयी थी। चूंकि सीमाज्ञान की कार्यवाही में सभी पडोसी खातेदारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में एवं उनको सुनवाई का उचित अवसर देकर सीमाज्ञान की कार्यवाही की जानी आवश्यक है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में जो मद में वर्णित सीमाज्ञान की कार्यवाही होना बताया गया है, वह विधिनुसार नही करके फौरी तौर पर की गयी है, जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष उत्तरदाता को लिखित सूचना किये और उसकी उपस्थिति के बिना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नही है। इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार, तहसील आमेर ने पत्र क्रमांक भू.अ./1984 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई जिसका सार इस प्रकार हैः– ग्राम चौंप के खाता संख्या 297 के ख0न0 1097 रकबा 0.13 है0 किस्म बारानी 2, ख0न0 1099 रकबा 1.37 है0 किस्म चाही 3 जाव 3 में खातेदार पिंकमहल इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय ए–54 राजधानी कृषि उपज मंडी रोड नं0 09 वी.के.आई. एरिया, सीकर रोड, जयपुर दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार है। उक्त ख0न0 में वर्तमान राजस्व रिकार्ड मुताबिक अब्दुल रहमान, माफी मंदिर रेफरेन्स व अन्य कोई स्थगन से प्रभावित नही है। उक्त ख0न0 1097, 1099 की उत्तरी पश्चिम दिशा में ख0न0 953 रकबा 1.09 है0 किस्म चारागाह में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर दर्ज है व दक्षिण दिशा में ख0न0 1093 रकबा 0.03 किस्म गै0मु0रास्ता व ख0न0 1196 रकबा 0.82 है0 में खातेदार आनन्दी लाल पुत्र हरसहाय हि0 1/12 वगै0 बदस्तुर जमाबंदी ख0न0 1100 रकबा 0.51 है0, ख0न0 1105 रकबा 0.71 है0, ख0न0 1107 रकबा 0.61 है0 में खातेदार दीपक पुत्र जगदीश हि0 1/5 बदस्तुर जमाबंदी खातेदार व उक्त ख0न0 के पूर्व दिशा में ख0न0 1111 रकबा 0.34 है0 में खातेदार नारायण पुत्र बिरदा हि0 1/3 वगै0 बदस्तुर जमाबंदी व ख0न0 1110 रकबा 1.25 है0 में खातेदार केशरलाल पुत्र चाथूराम हि0 1/2 वगै0 बदस्तुर जमाबंदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उत्तर दिशा में राजस्व ग्राम ईशरावाला के ख0न0 765 रकबा 0.36 है0 में खातेदार कैलाश पुत्र नाथू हि0 1/10 जाति जाट वगै0 बदस्तुर जमाबंदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है। श्रीमान जी पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान पडोसी काश्तकारों द्वारा शांतिभंग किये जाने की आशंका है। अतः श्रीमान जी पुलिस इमदाद व उच्च अधिकारियों के सानिध्य में ही पत्थरगढ़ी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

::– आदेश –::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि :–

01. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 1097 रकबा 0.13 हैक्टे, ख0न0 1099 रकबा 1.37 हैक्टे0 वाके राजस्व ग्राम चौंप, पटवार हल्का चौंप,

BSW
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

भू0अ0नि0क्षे0 बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये

02. तहसीलदार, तहसीलद आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रकिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें।

03. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

04. तहसीलदार, आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तांतरण नही करें।

05. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। कब्जा संबंधी मामलो में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

आज दिनांक 18.06.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

BSW

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर